

## सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि (जनपद-रूद्रप्रयाग) क्षेत्र पूर्व में "खुले में शौचमुक्त" घोषित हुआ है जिसका सर्टिफिकेशन एवं पुनः रिसर्टिफिकेशन कर भारत सरकार की एंजेंसी क्यूसीआई के द्वारा प्रमाण-पत्र दिया गया है। वर्तमान में समस्त औपचारिकताओं के बाद नगर पंचायत, ने नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि क्षेत्र को "खुले में शौचमुक्त प्लस" (ODF+) घोषित किया है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत, आम जनता से दिनांक 25.12.2018 तक दावे एवं आपत्ति आमंत्रित करती हैं।

उपरोक्तानुसार नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि क्षेत्र को "खुले में शौचमुक्त प्लस" (ODF+) घोषित किये जाने पर यदि किसी को आपत्ति हो तो दिनांक 25.12.2018 तक अपनी आपत्ति / दावा प्रमाण सहित नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी दावा एवं आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

ह0 / -  
अधिशायी अधिकारी,  
नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि  
जनपद-रूद्रप्रयाग

ह0 / -  
अध्यक्ष  
नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि  
जनपद-रूद्रप्रयाग


### ॥ कार्यालय, नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि, जनपद-रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) ॥

पत्रांक 486 / 21-55(स्व.भा. ODF+)/2018-2019

दिनांक 10 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि :-

- 1-निदेशक महोदय, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड़, देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ।
- 2-जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, रूद्रप्रयाग को जनपद की वेबसाइट पर नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि में अपलोड किये जाने हेतु।
- 4-प्रभारी संवाददाता दैनिक अमर उजाला, दैनिक जागरण, व दैनिक हिन्दुस्तान को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार सार्वजनिक सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु को अपने समाचार पत्र के गढ़वाल संस्करण के अगामी अंक में एक बार शासकीय दरों पर प्रकाशित 8 X 6 से.मी. के स्पेस में प्रकाशित कर देयक जिला सूचना अधिकारी से प्रमाणित कर प्रस्तुत करें।

  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि